यह निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गड़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गड़वाल,के माह 03/2011 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14/12/2018 से 18/12/2018 तक श्री रामसेनही लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्वेक्षण मे सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी0सी0 श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गोविंद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार सम्प्रेक्षक द्वारा दिनाक 07/03/2011 से 16/03/2011 तक सम्पन्न की गयी थी। जिसमे माह 07/2007 से 02/2011 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी ।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः यह कार्यालय जनपद पौड़ी में स्थित हैं । ज़िलाअधिकारी कार्यालय से 500 मीटर की दूरी तथा आकाशवाणी केंद्र के समीप स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1750 फिट हैं। इस कार्यालय के द्वारा अशासकीय/शासकीय विधालयों का अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता हैं ।

(ii) (अ) विगत तीन(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

क्र॰सं॰	मद का नाम/लेखा श्रीषक	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि॰ (+)	बचत
	22025001050300/सार्वजनिक पुस्तकालय		प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय	प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय		
1	-	2015-16	-	809574	809574	-	94172	94172		-
2	-	2016-17	-	874725	874725	-	40882	40882		-
3	-	2017-18	-	1049956	1049956	-	127399	127399		-
4	-	2018-19 (11/2018 तक)	-	644592	644592	-	14792	14792		-

5	2202021010 300/क्षेत्रीय निरीक्षण	2015-16	-	11831695	11831695	-	648761	648761		-
06	-	2016-17	-	35391324	35391324	-	1524623	1524623		-
07	-	2017-18	-	15720577	15720577	-	725501	725501		
08	-	2018-19(11/18)	-	12822886.	12822886	-	435188	435188		

(iii) वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(रु लाख मे)

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम			प्राप्त धनराशि					
-	मध्याहन भोजन योजना	प्रा॰ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्ति(व्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	बचत		
	2015-16	-	-	-	-	-	-		
2016-17		-	-	-	-	-	-		
2017-18		-	-	-	-	-	-		
2018-19(11/2018)		-	-	-	-	-	-		

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी सी (C) हैं ।विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

शिक्षा सचिव उत्तराखंड

↓

महानिदेशक विधालय शिक्षा उतराखंड

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उतराखंड

↓

अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशाल्य उतराखंड

↓

अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गड़वाल उतराखंड

↓

उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा उतराखंड

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

ज़िला सिक्षा आधिकारी(माध्यमिक शिक्षा)

↓

समस्त स्टॉफ

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गड़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गड़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2012 ,03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त 03/2012 03/2016 एवं 03/2017 माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:1- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) जमा न होने के सम्बंध में।

उत्तराखंड राज्य में दिनांक - 01/10/2005 के पश्चात सेवा मे नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वित्त विभाग की अधि सूचना -21/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंश दाई पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -643/XXVII(7) अंशदाई पेंशन योजना /2010 दिनांक 11/08/2010 के प्रस्तर -(2) के प्रावधानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिकों व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखा शीर्षक -0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवर्ति लाभों के लिए 00-117-नई पेंशन योजना ,01-कर्मचारी का अंश, 02- नियोक्ता का अंश (state share) के नामे जमा किए जाने की व्यवस्था की गयी थी ।

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017 दिनाक -06/04/17 में स्पष्ट किया गया हैं कि अंशदाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप में 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0 आइ0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी(पौड़ी गड़वाल) मे कारयत नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के एनपीएस खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखों की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया हैं कि उनके वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) जमा नहीं हो रहा हैं। संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया है कि संस्था मे तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों/सीक्षण गण मे से कर्मचारियों/ अधिकारियों/सीक्षण गण की NPS पासबुक एवं लेजर तैयार किये गए हैं परंतु उनके NPS पासबुक एवं लेजर मे 10% नियोक्ता अंश दर्ज नहीं किया जा रहा हैं।

कोषगार सल्ट (अल्मोड़ा) के E-कोष द्वारा कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश (state share) 04/2017 से जमा नहीं किया जा रहा हैं। सम्प्रेक्षा जांच मे यह पाया गया कि कॉलेज द्वारा कोषा अधिकारी एवं निदेशालय को भी लगभग 02 वर्ष से इस संबंध मे पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी। इस सम्बंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर कॉलेज द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे लेखापरीक्षा के निर्देशों का पालन करते हुऐ कार्यवाही की जायेगी एवं शासन स्तर से दिशानिर्देश प्राप्त होने के बाद कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। संप्रेक्षा मे इकाई उत्तर मान्य नहीं हें क्योंकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (11/18) तक कोई कारवाही नहीं कि थी। शासन आदेश मे-06/04/17 मे स्पष्ट है कि प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत न किए जाने के सम्बंध मे महालेखाकार उत्तराखंड द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 मे आपत्ती दर्ज कि गयी थी। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हें ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता प्रदान किया जाना

उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) के शासनादेश संख्या 623/XXIV/(1) / 2013-R-467 /2011 दिनांक 27 जून 2013, के विषय :- उत्तराखण्ड नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, के प्रख्यापन के उपरान्त अशासकीय पूर्व मद्यमिक (जूनियर हाईस्कूल) प्राथमिक /नर्सरी विद्यालयों की मान्यता शर्तों के सम्बन्ध में, के बिन्दु (6) मान्यता के मानक (ख) आधारभूत संरचना (1) भवन - विद्यालय सोसाइटी को आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर उपलब्ध होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जाएगा । किरायानामा विधिवत पंजीकृत होना एवं विद्यालय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है । साथ ही विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह-आवेदन पत्र में (छ) अन्य सुविधाएं 1-11 के अनुसार अग्नि से बचाव की व्यवस्था भी आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में संलग्नक सूची (पृष्ठ 4 से 8 तक) में उल्लेखित विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, किराए के विद्यालय भवनों का कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं थे । तथा विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह-आवेदन पत्र के अनुसार आवश्यक अग्नि से बचाव की व्यवस्था का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्गत, संलग्न नहीं पाये गए । तदनुसार मान्यता हेतु आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता दी गई । अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता प्रदान किए जाने के दौरान, अग्नि से बचाव की व्यवस्था की अनदेखी किए जाने से जहां एक ओर विध्यार्थियों की जान जोखिम में डाली गई वहीं दूसरी ओर विद्यालय भवनों का किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं कराये जाने के फलस्वरूप पंजीकरण शुल्क का अदेय लाभ विद्यालय प्रवंधनों को दिये जाने से शासकीय राजस्व की हानि भी हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि, यदि किसी पत्रावली में किराए के भवन का लीज/डीड प्रमाण पत्र विधिवत नहीं पाया गया तो संबन्धित विद्यालय प्रवंधन तंत्र से समय बद्ध तरीके से इसका निराकरण कराया जाएगा । तथा अग्नि शमन यंत्र किसी विद्यालय में नहीं लगाया गया है तो विद्यालय प्रवंध उसे अविलंब लगाए जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा और भविष्य में इसकी पुनराबृति नहीं की जाएगी। अतः अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता प्रदान किए जाने के दौरान, अग्नि से बचाव की व्यवस्था की अनदेखी किए जाने तथा विद्यालय भवनों का किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी**
AIRNO-01/2011-12	01	01	-
-	-	-	-
-	-	-	-
योग	01	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	**प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
इकाई द्वारा अपने उत्तर मे संप्रेक्षा को अवगत कराया हें कि विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के माध्यम से संस्तुति कराकर संप्रेक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गड़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम / पदनाम**	**दिनांक**
1.	श्री टीका राम आर्य वित्त अधिकारी विधालयी शिक्षा	27/07/11 से 28/07/13 तक
2.	श्री रुकम सिंह मन्दराल वित्त अधिकारी विधालयी शिक्षा	29/07/2013 से 31/07/2014
3.	श्री भूपेंद्र काण्डपाल वित्त अधिकारी विधालयी शिक्षा	23/08/2014 से 01/09/2014
4.	श्री खिलाफ सिंह विस्ट वित्त अधिकारी विधालयी शिक्षा	23/09/2014 से 30/11/2018
5.	श्री आलोक शाह वित्त अधिकारी विधालयी शिक्षा	01/12/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गड़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून "248195" को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.